पत्र संख्या—1/प्रो0 (च.अ.)—1001/2012—सा.प्र.—20497/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

रचना पाटिल, भा.प्र.से.,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवामें,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना—15, दिनांक 23 दिसम्बर 2024

विषयः— **दिनांक 31.12.2024 की स्थिति पर आधारित चल एवं अचल संपत्ति तथा दायित्वों की विवरणी, 2024 का दिनांक 15 फरवरी, 2025 तक समर्पण।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि गत वर्षो की भांति इस वर्ष भी अखिल भारतीय सेवा के सभी पदाधिकारियों/ राज्य में प्रतिनियुक्ति के आधार पर सेवारत केन्द्रीय सिविल सेवा अथवा अन्य किसी सेवा के पदाधिकारियों **तथा राज्य सरकार के अधीन पदस्थापित/सेवारत समूह 'क' 'ख' एवं 'ग' के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों एवं राज्य सरकार के अधीनस्थ सभी उपक्रमों** (यथा बोर्ड, निगम, सोसाइटी, पर्षद इत्यादि) के समूह 'क' 'ख' एवं 'ग' के पदाधिकारियों एवं कर्मियों से **दिनांक 31.12.2024 की स्थिति पर आधारित चल एवं अचल संपत्ति तथा दायित्वों की विवरणी, 2024 का समर्पण दिनांक 15 फरवरी, 2025 तक अपेक्षित है।उक्त अपेक्षा के अनुरूप दिनांक 15 फरवरी, 2025 तक विवरणी समर्पित नहीं करने वाले पदाधिकारी/कर्मी के मासिक वेतन का भुगतान अवरुद्ध रहेगा।**

2. **इस हेतु विहित प्रपत्र (छायाप्रति संलग्न) सामान्य प्रशासन विभाग,** बिहार, पटना के वेबसाइट **https://state.bihar.gov.in/gad** पर भी उपलब्ध है।

3. **अखिल भारतीय सेवाएं (आचार) नियमावली के तहत अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों से वांछित अचल संपत्ति विवरणी के अतिरिक्त उक्त सेवा के सदस्यों/पदाधिकारियों द्वारा विषयाधीन चल–अचल संपत्ति एवं दायित्वों की विवरणी** अलग से समर्पित की जाएगी।

3.1 राज्य में प्रतिनियुक्ति के आधार पर सेवारत केन्द्रीय सिविल सेवा के पदाधिकारी और अन्य किसी सेवा के पदाधिकारी द्वारा भी संदर्भित विवरणी अनिवार्य रुप से समर्पित की जाएगी।

4. भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय वन सेवा के पदाधिकारी विहित प्रपत्र में संपत्ति विवरणी 15 फरवरी, 2025 तक अपने पदस्थापन संबंधित विभागों/कार्यालयों में समर्पित करने के उपरान्त उसकी एक प्रति संवर्ग नियंत्री विभागों(सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना) को अवश्यमेव प्रेषित करेंगे।

4.1 राज्य में प्रतिनियुक्ति के आधार पर सेवारत केन्द्रीय सिविल सेवा के पदाधिकारी और अन्य किसी सेवा के पदाधिकारी अपने–अपने पदस्थापन से संबंधित विभागों में आलोच्य विवरणी समर्पित करेंगे और उसकी एक प्रति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को अनिवार्यतः उपलब्ध करा देंगे।

5. सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों से संबंधित फरवरी माह की 28 तारीख तक प्राप्त चल एवं अचल संपत्ति तथा दायित्वों की विवरणियां 31 मार्च, 2025 तक सम्बद्ध विभागों के आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से सार्वजनिक कर दी जाएंगी और सी0डी0 सहित उनकी प्रतियां बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, पटना को अवश्य प्रेषित कर दी जाएं ताकि सोसाइटी द्वारा उन्हें समेकित रुप से सरकारी वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जा सके।

6. राज्य सरकार के अधीनस्थ विभागों/ कार्यालयों एवं राज्य सरकार के सभी उपक्रमों (यथा बोर्ड, निगम, सोसाइटी, पर्षद इत्यादि) में कार्यरत प्रत्येक पदाधिकारी/कर्मी अपनी संपत्ति विवरणी विहित प्रपत्र में 15 फरवरी, 2025 तक अपने–अपने निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को अनिवार्य रुप से सौंप देंगे तथा संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अथवा इस हेतु प्राधिकृत अन्य पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी पदाधिकारी/कर्मी (निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अथवा इस हेतु प्राधिकृत अन्य पदाधिकारी सहित) के माह फरवरी का वेतन विपत्र तभी पारित किया जाए, जब उनके द्वारा वांछित विवरणी समर्पित कर दी गई हो।

साथ ही, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अथवा प्रासंगिक कार्य हेतु प्राधिकृत अन्य पदाधिकारी वैसे कार्मिकों (पदाधिकारी/कर्मी), जिनके द्वारा वांछित विवरणी समर्पित न की गई हो, की सूची प्रश्नगत फरवरी माह के बाद अपने–अपने नियंत्री विभाग को अवश्य भेज देंगे।

6.1 सभी विभागीय/कार्यालय प्रधान नियत समयावधि में संदर्भगत विवरणी समर्पित नहीं करने वाले कार्मिकों (पदाधिकारी/कर्मी) के विरुद्ध सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार,पटना के परिपत्र संख्या–1/प्रो0–1001/2021–सा0प्र0–9603 दिनांक 27.08.2021 (छाया प्रति संलग्न) के तहत विहित रीति से अनुशासनिक कार्रवाई आरंभ करेंगे और उसकी सूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करा देंगे।

1164

7. सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव एवं सचिव अपने विभाग के नियंत्रणाधीन सभी निदेशालयों/कार्यालयों/लोक उपक्रमों (यथा बोर्ड, निगम, सोसाइटी, पर्षद इत्यादि) के प्रधानों एवं सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को निर्देशित कर दें कि उनके द्वारा माह फरवरी,2025 के वेतन की निकासी करते समय यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय कि संबंधित कर्मी द्वारा चल एवं अचल संपत्ति तथा दायित्वों की वांछित विवरणी विहित प्रपत्र में समर्पित कर दी गई है अन्यथा वेतन की निकासी न की जाय।

8. सभी अधीनस्थ पदाधिकारियों/कर्मियों को भी इससे अवगत कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक—यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

20.12.24

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक—1/प्रो0(च.अ.)—1001/2012—सा.प्र.–20497/पटना—15, दिनांक 23 दिसम्बर, 2024

प्रतिलिपिः—अखिल भारतीय सेवा (बिहार संवर्ग—केन्द्रीय/अन्तर्राज्यीय प्रतिनियुक्ति पर सेवारत पदाधिकारी सहित) के सभी पदाधिकारी/प्रतिनियुक्ति के आधार पर राज्य में सेवारत अखिल भारतीय सेवा के सभी पदाधिकारी/केन्द्रीय सिविल सेवा के सभी पदाधिकारियों/अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, पटना/राज्य सरकार के नियंत्राधीन सभी लोक उपक्रमों (यथा बोर्ड, निगम, पर्षद इत्यादि) के प्रधान/ सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.12.24

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक—1/प्रो0(च.अ.)—1001/2012—सा.प्र.–20497/पटना—15, दिनांक 23 दिसम्बर, 2024

प्रतिलिपिः—स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली—110 001/उप निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.12.24

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक—1/प्रो0(च.अ.)—1001/2012—सा.प्र.–20497/पटना—15, दिनांक 23 दिसम्बर, 2024

प्रतिलिपिः—प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—06/आई0 टी0 प्रबंधक, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. **आई0टी0 प्रबंधक से अनुरोध है कि वे पत्र की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अवश्य डाल देंगे तथा इसे सभी संबंधित पदाधिकारियों को उनके ई—मेल आई0डी0/ एस0एम0एस0 परअविलम्ब प्रेषित कर देंगे।**

20.12.24

सरकार के विशेष सचिव।

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक–01/स्था0–28–02/15– 05 पटना, दिनांक– 01.01.2025

प्रतिलिपि:- जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना (मुख्यालय) स्थित सभी पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख (मुख्यालय/सिंचाई सृजन/बाढ़ नियंत्रण)/मुख्य अभियंता, यो0 एवं मो0/निदेशक, वाल्मी/निदेशक, क्रय भंडार एवं सामग्री प्रबंधन निदेशालय/अधीक्षण अभियंता, यो0 एवं मो0 अंचल–01/02/03/04/बाढ़ नियंत्रण/सिंचाई/अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता अंचल–01/02/काडा/अधीक्षण अभियंता, शोध एवं प्रशिक्षण अंचल, खगौल/संयुक्त निदेशक, FMISC/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई (यांत्रिक), मोनिटरिंग प्रमंडल/कार्यपालक अभियंता, शोध एवं प्रशिक्षण प्रमंडल–01/02/03/कार्यपालक अभियंता आई0टी0, WRD IT Centre/आई0टी0 प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सभी पदाधिकारियों से अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ कर्मियों को पत्र में निहित निर्देश से अवगत कराने की कृपा की जाए।

अनु:– यथोक्त।

1/1/25

(बिनय कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव

Declaration of Assets and Liabilities

Year........................

I,.., son/daughter/wife of ...., aged...................................... years, belonging to .... service and presently working as .... give herein below the details of the assets (immovable, movable, bank balance, etc.) of myself, my spouse and dependants*:

A. Details of movable assets

(Assets in joint name indicating the extent of joint ownership will also have to be given)

Sr. No.	Description	Self	Spouse Name(S)	Dependant-1 Name	Dependant-2 Name	Dependant-3 Etc. Name
(i)	Cash					
(ii)	Deposits in Banks, Financial Institutions And Non-Banking Financial Companies					
(iii)	Bonds, Debentures and Shares in companies					
(iv)	Other financial institutions, NSS, Postal Savings, LIC Policies, etc					
(v)	Motor Vehicles (details of make, etc.)					
(vi)	Jewellery (give details of weight and value)					
(vii)	Other assets, such as values of claims / interests					

Note: Value of Bonds / shares / Debentures as per the latest market value in Stock Exchange in respect of listed companies and as per books in the case of non listed companies should be given.

* Dependant here means a person substantially dependent on the income of the employee.

B. **Details of Immovable assets**

[Note: Properties in joint ownership indicating the extent of joint ownership will also have to be indicated]

Sr. No.	Description	Self	Spouse Name(S)	Dependant-1 Name	Dependant-2 Name	Dependant-3 Etc. Name
(i)	Agricultural Land - Location(s) - Survey number(s) - Extent (Total measurement) -Current market value					
(ii)	Non-Agricultural Land - Location(s) - Survey number(s) - Extent (Total measurement) -Current market value					
(iii)	Buildings (Commercial and residential) Location(s) - Survey /door number(s) - Extent (Total measurement) - Current market value					
(iv)	Houses / Apartments, etc. - Location(s) - Survey /door number(s) - Extent (Total measurement) - Current market value					
(v)	Others (such as interest in property)					

(2) I give herein below the details of my liabilities / overdues to public financial institutions and government dues:-

[Note : Please give separate details for each item)

Sr. No.	Description	Name & address of Bank / Financial Institutions(s) / Department (s)	Amount outstanding as on ....
(a)	(i) Loans from Banks		
	(ii) Loans from financial institutions		
	(iii) Government Dues: (a) dues to departments dealing with government accommodation		
	(b) dues to departments dealing with supply of water		
	(c) dues to departments dealing with supply of electricity		

	(d) dues to departments dealing with telephones		
	(e) dues to departments dealing with government transport (including aircraft and helicopters)		
	(f) Other dues, if any		
(b)	(i) Income Tax including surcharge [Also indicate the assessment year upto which Income Tax Return filed. Give also Permanent Account Number (PAN)]		
	(ii) Wealth Tax [Also indicate the assessment year upto which Wealth Tax return filed.]		
	(iii) Sales Tax [Only in case of proprietary business]		
	(iv) Property Tax		

C. Personal Detail

GPF/CPF/PRAN No. :- [ ]

Gender :- [ ] (M/F)

Date of Birth :- [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] (DD/MM/YYYY)

Class/Group :- [ ] (A/B/C)

Cadre :- [ ]

(Full Name e.g. B.A.S.-Bihar Administrative Service,

B.S.S.- Bihar Secretariat Service etc.)

Home District :- [ ]

I hereby declare that the above details are true to the best of my knowledge and belief.

Signature ....

Name of Employee: ....

Place:......................

Designation:...

Date:.......................

Department:...

Note: **Please sign each page of the declaration. Asset declaration form must be in A4 size white paper with computer typed (single side) in prescribed format.**

निबंधित / ई-मेल

पत्र संख्याः 1/प्रो0—1001/2021—सा0प्र0—...3603.../

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

चंचल कुमार, भा0प्र0से0
सरकार के प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना—15, दिनांकः 27 अगस्त, 2021

विषयः— **चल एवं अचल सम्पति तथा दायित्वों की विवरणी संबंधित पंचांग वर्ष की 28/29 फरवरी तक समर्पित नहीं किये जाने पर अनुशासनिक कार्रवाई संस्थित किये जाने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा राज्य के विभागों/कार्यालयों/लोक उपक्रमों (यथा बोर्ड, निगम, सोसाइटी, पर्षद, परिषद् इत्यादि) में सेवारत (प्रतिनियुक्ति आधारित सेवा सहित) अखिल भारतीय सेवा/केन्द्रीय सिविल सेवा/अन्य केन्द्रीय सेवाओं के सभी पदाधिकारियों तथा राज्य के समूह 'क' 'ख' एवं 'ग' के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को चल एवं अचल संपत्ति तथा दायित्वों की विवरणी किसी पंचाग वर्ष के 31 दिसम्बर के उपरान्त आगामी पंचांग वर्ष की 28/29 फरवरी तक समर्पित करते हुए उसे संबद्ध विभागों के वेबसाइट पर सार्वजनिक करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रत्येक वर्ष निदेशित किया जाता है।

परन्तु, प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि कतिपय पदाधिकारियों/ कार्मिकों/कर्मियों द्वारा या तो वांछित चल—अचल सम्पत्ति विवरणी समर्पित ही नहीं की जाती है अथवा निर्धारित समय सीमा के बाद समर्पित की जाती है। जबकि, इस हेतु बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम—19

कृ0पृ0उ0

1150
(520)

के उपनियम–8 में उपबंध है कि किसी पंचाग वर्ष के 31 दिसम्बर के बाद समय पर (अर्थात् आलोच्य नियमावली के नियम–19 के उप नियम–i के आलोक में संबंधित पंचाग वर्ष के 28/29 फरवरी तक) वांछित विवरणी समर्पित नहीं करने वाले सरकारी सेवक के वेतन का भुगतान रोका जा सकेगा और ऐसे व्यवहार/आचरण को गंभीर कदाचार मानते हुए संबंधित पदाधिकारी/कर्मी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही का संचालन अपेक्षित होगा। उपनियम–8 का मूल भाग निम्नवत् है:–

"वांछित विवरणी समय पर नहीं समर्पित करने वाले सरकारी सेवक का वेतन भुगतान, सरकार या विहित प्राधिकारी विवरणी समर्पित करने तक रोक सकेंगे। समय पर विवरणी नहीं समर्पित किया जाना, अपने सरकारी कर्त्तव्य पालन में गंभीर कदाचार माना जाएगा जिसके लिए वह विभागीय कार्यवाही का दायी होगा।"

2. यथा वर्णित तथ्यों पर सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि –

(i) जिन पदाधिकारियों/कर्मियों द्वारा पंचाग वर्ष 2020 की सम्पत्ति विवरणी अब तक समर्पित नहीं की गयी है, उनसे वांछित विवरणी के असमर्पित रहने के संबंध में एक माह का समय देते हुए स्पष्टीकरण पूछा जाए और उक्त अवधि में भी वांछित विवरणी अप्राप्त रहने पर संबंधित पदाधिकारी/कर्मी के विरूद्ध सरकारी आदेश के उल्लंघन का विधिवत् आरोप–पत्र निर्गत करते हुए विभागीय कार्यवाही आरंभ की जाए।

(ii) आगामी पंचांग वर्षो (पंचांग वर्ष 2021 और उसके बाद के वर्ष) के लिए सभी विभागीय प्रधान/कार्यालय प्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि वे स्वयं और उनके अधीनस्थ पदाधिकारी/कर्मी संबंधित पंचांग वर्ष के 28/29 फरवरी तक चल–अचल सम्पत्ति एवं दायित्वों की विवरणी विहित प्रपत्र में अवश्य समर्पित कर देंगे अन्यथा फरवरी माह और उसके बाद के वेतन का आहरण/भुगतान तबतक नहीं होगा, जबतक की वांछित विवरणी समर्पित नहीं कर दी जाती है;

और दिनांक 28/29 फरवरी तक जो पदाधिकारी/कर्मी वांछित विवरणी समर्पित नहीं करेंगे, उन्हें एक माह के अन्दर कारण

स्पष्ट करते हुए विवरणी समर्पित करने हेतु निदेशित किया जाएगा तथा एक माह की उक्त अवधि में भी विवरणी के असमर्पित रहने पर संबंधित पदाधिकारी/कर्मी के विरूद्ध विधिवत् आरोप—पत्र निर्गत करते हुए विभागीय कार्यवाही संस्थित की जाएगी।

(iii) प्रत्येक विभागीय/कार्यालय प्रधान संबंधित पंचांग वर्ष (जिसके लिए विषयगत विवरणी का समर्पण वांछित हो) में 28/29 फरवरी तक वांछित विवरणी समर्पित करने वाले पदाधिकारियों/कर्मियों की सूची सहित उनकी सम्पत्ति विवरणियाँ एवं उसकी एक सी0डी0 आधिकारिक वेबसाइट पर डालने हेतु बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, पटना को अवश्य उपलब्ध करा देंगे। तत्पश्चात्, विवरणी समर्पित नहीं करने वाले पदाधिकारियों/कर्मियों के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही और प्रत्येक छः माह पर उसके फलाफल का विवरण सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को हार्ड और सॉफ्ट प्रति में उपलब्ध करा देंगे।

विश्वासभाजन

25/8/21

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः—1/प्रो0—1001/2021—सा0प्र0— 0605 /पटना—15, दिनांकः27अगस्त, 2021

प्रतिलिपिः— केन्द्रीय/अन्तर्राज्यीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत बिहार संवर्ग के सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी/राज्य में सेवारत एवं प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अन्य सभी पदाधिकारी/केन्द्रीय सिविल सेवा के सभी पदाधिकारी/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/श्री के0 सी0 राजू, अवर सचिव (ए वी डी.I/A), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली—110 001/राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सभी लोक उपक्रम (बोर्ड, निगम, सोसाइटी, पर्षद इत्यादि) के प्रधान/अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, बिहार, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के समूह 'क', 'ख' एवं 'ग' के सभी पदाधिकारी/कर्मी/आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/8/21

सरकार के प्रधान सचिव।